



2026:AHC:178862

**उच्च न्यायालय, इलाहाबाद**

**भा.ना.सु.सं. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -**

**8725 सन् 2026**

जोखन लाल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

: संजीव कुमार खरे

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

**न्यायालय संख्या - 71**

**माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला**

1. आज प्रस्तुत पूरक शपथ-पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से थाना- तेजी बाजार, जनपद- जौनपुर में, भा.ना.सं. की, धारा 109(1), 115(2), 118(1), 351(3), 352, 117(2) के अंतर्गत दाखिल मुकदमा अपराध संख्या 128 सन् 2026 में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपरोक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक को वर्तमान मामले में मिथ्यात्मक रूप से फंसाया गया है। आवेदक की ओर से एक पूजा देवी को भी सिर की चोट सहित गंभीर चोटें आई हैं। आवेदक द्वारा सूचनाकर्ता के भतीजे के विरुद्ध पूर्व में धारा 332(सी) एवं धारा 74 बी.एन.एस. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि सूचनाकर्ता पक्ष, जो आवेदक के पड़ोसी हैं, ने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एकत्रित होकर आवेदक के घर में प्रवेश किया तथा घायल पूजा देवी पर हमला किया। असत्य एवं कूटरचित चोटें तैयार की गई हैं तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में असत्य संस्करण गढ़ा गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए तथ्यात्मक निवेदनों को विवादित नहीं कर सके।
6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है।
7. यद्यपि क्रॉस केस (दोनों पक्षों की तरफ से प्रकरण) विद्यमान हैं, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों को चोटें आई हैं। आवेदक की पुत्री को भी घटना में चोट पहुंचने की बात कही गई है। आवेदक तथा सह-अभियुक्त आशीष कुमार को प्रथम सूचना रिपोर्ट में तथा क्रॉस प्रथम सूचना रिपोर्ट में सोलह व्यक्तियों को अभियुक्त के रूप में नामित किया गया है। इस स्तर पर यह अभिनिर्धारित करना उचित नहीं होगा कि कौन-सा पक्ष आक्रामक था। सह-अभियुक्त आशीष कुमार को संबंधित न्यायालय द्वारा नियमित जमानत प्रदान किए जाने की बात कही गई है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में एक दिन का विलंब है।
8. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मैं आवेदक को पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना उचित समझता हूँ।
9. उपरोक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
10. पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक, आवेदक-**जोखन लाल** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपरोक्त मुकदमा अपराध में निम्नलिखित शर्तों के अधीन, संबंधित थानाध्यक्ष/न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की एक जमानत प्रस्तुत करने पर अविलंब मुक्त किया जाएगा:-

- i. आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
- ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत करने हेतु कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv. आवेदक अभियोजन के साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे धमकाएगा नहीं;

11. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णयन हेतु हैं तथा इन्हें मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं समझा जाएगा।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

24 अगस्त, 2026

ए. पांडेय